(3)

प्रेषक पुलिस अधीक्षक,
पलवल।

प्रेषित
i) सभी उप पुलिस अधीक्षक, जिला पलवल।
ii) सभी थाना प्रबन्धक, जिला पलवल।
iii) सभी प्रभारी चौकी जिला पलवल।
iv) प्रवाचक, पुलिस अधीक्षक पलवल।
v) जिला सेना लिपिक पलवल व लाइन अफसर पलवल।
vi) टी.ए.एस.आई. जिला पलवल।
vii) सभी ब्रान्च ईन्चार्ज, कार्यालय पुलिस अधीक्षक पलवल।
viii) प्रभारी नियन्त्रण कक्ष पलवल।

क्रमांक 2502-15/प्र दिनांक 29/3/2020 (:)

**विषयः– केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा जारी आदेश 40–3/2020–पी.एम.(1) ए की अनुपालना एंव हरियाणा सरकार तथा माननीय पुलिस महानिदेशक, हरियाणा द्वारा बेतार के माध्यम से जारी आदेश/निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित दिशा–निर्देशों जारी किए जाते हैंः–**

1. राष्ट्रीय राजमार्गो एंव अन्य मार्गो पर आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोकथाम लगाई जाए।

2. यदि कोई मजदूर/लेबर अपने प्रदेश जाने के लिए रोड/सडक पर घूमता पाया जाता है तो उसको जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए आश्रय केन्द्रों में भेजा जावे।

3. यदि ऐसा कोई स्थान जहां पर मजदूर/लेबर किस्म के व्यक्ति रहते हैं उनकी समस्याओं को स्थानीय प्रशासन के सहयोग से समाधान किया जाए।

4. सभी अन्तर्राज्य एंव अर्न्तजिला नाकों पर इस सम्बन्ध में कडाई से पालना की जावे।

5. आप सभी थाना प्रबन्धक व प्रभारी चौकी अपने क्षेत्र में अफवाहों पर कडी नजर रखें तथा कोरोना वायरस की बीमारी के बचाव में आने वाली दवाईयों/मास्क/सेनेटाइजर इत्यादि उपकरणों की कालाबाजारी को रोकने के लिए सभी ऐतिहाति–निवाकर कार्यवाही करें तथा स्वास्थय विभाग का सहयोग करें।

6. सभी थाना प्रबन्धक व प्रभारी चौकी अपने क्षेत्राधिकार के मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारों–चर्च व सामाजिक–धार्मिक संगठनों के द्वारा में होने वाले आयोजनों के बारे में धारा 144 के दृष्टिगत पालना सुनिश्चित करें तथा वांछित सहयोग हासिल करें।

7. जनता की आपातकालीन सेवाओं के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही करते हुए निपटारा किया जावे।

8. यदि किसी थाना क्षेत्र/ चौकी क्षेत्र में लॉक डाउन की अवधि के दौरान यदि किसी लेबर/मजदूरों इत्यादि की आवाजाही पैदल या वाहन के द्वारा पाई गई तो इसके लिए सम्बन्धित थाना प्रबन्धक/ चौकी इन्चार्ज – नाका इन्चार्ज की कोताही मानी जाएगी। जिसके प्रति उसके विरूद्ध कडी कार्यवाही अम्ल में लाइ जाएगी।

9. सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारी अपने–अपने क्षेत्राधिकार में उक्त दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए स्वंय जिम्मेवार होंगे।

उक्त आदेश/दिशा–निर्देशों की पालना दृढ्ता से की जावे।

पुलिस अधीक्षक,
पलवल।

Recd 3
29/3/20

Scanned with CamScanner